Online ISSN: 2455 - 0256 Print ISSN 2394 - 9805

बलिया जनपद में सहकारी कृषि–विपणन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ0 अंगद सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, सतीश चन्द्र कालेज, बलिया (उ0प्र0)

प्रस्तावना– कृषि के क्षेत्र में उन्नत कृषि विधियों के प्रसार के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है, लेकिन विपणन की समुचित सुविधा के अभाव में किसान पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हो पाये हैं। मध्यस्थों की एक लम्बी श्रृंखला तथा मण्डियों के अन्तर्गत पाई जाने वाली विभिन्न कुरीतियों के कारण, एक ओर तो, उपभोक्ताओं को कृषि उपजों के लिए ऊँची कीमत देनी पड़ती है और दूसरी ओर, किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। विपणन–प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्पादित किए जाने वाले विभिन्न कार्यों में मुख्यतः परिवहन, संग्रहण, वित्त–व्यवस्था, विपणन सूचना एवं श्रेणीकरण सम्बन्धी कार्यों को किसान व्यक्तिगत तौर पर ठीक ढंग से सम्पादित नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप वे उचित स्थान, उचित समय तथा उचित कीमत पर बिक्री करने में असमर्थ होते हैं। सहकारी विपणन के द्वारा उपर्युक्त विपणन सम्बन्धी क्रियाओं के सम्पादन में कुशलता आती है और ये समितियाँ अपने सदस्य किसानों को अच्छी विपणन सम्बन्धी सुविधाएं एवं विपणन में मितव्ययिताएँ उपलब्ध कराती हैं जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से बिक्री करने पर उपलब्ध नहीं हो पाती। इस प्रकार सहकारी विपणन समितियाँ उचित स्थान, उचित समय और उचित कीमत पर बिक्री कराने में अपने सदस्यों को सहायता पहुँचाती है।

सहकारी विपणन समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषकों की उपज को सामूहिक रूप से विपणन करके उनको उपज का उचित मूल्य प्रदान कराना है। बेकन एवं सहार्स (1937) के अनुसार, ''सहकारी–विपणन समितियाँ कृषकों द्वारा उत्पादित उपज के सामूहिक रूप से विक्रय के लिए स्थापित ऐच्छिक संस्थाएँ हैं। समितियों का संचालन प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के आधार पर होता है और प्राप्त शुद्ध लाभ, सदस्य कृषकों में, खाद्यान्नों की बिक्रीत मात्रा के अनुसार वितरित किया जाता है। सदस्य ही समितियों के स्वामी, संचालक, वस्तुओं की पूर्ति करने वाले एवं लाभ के प्राप्तकर्ता होते हैं। सहकारी–विपणन समितियों में किसी प्रकार के मध्यस्था नहीं होते हैं।''

कुंजी शब्द– सहकारी विपणन, कृषि–विपणन, विक्रय योग्य आधिक्य, उचित मूल्य।

शोध कार्य का उद्देश्य– 1. उपभोक्ता–मूल्य में से किसानों को अधिक हिस्सा दिलाने में सहकारी विपणन समितियों की भूमिका का स्पष्टीकरण।

2. विद्यमान सहकारी विपणन पद्धति के दोषों का निरूपण एवं निराकरण से सम्बन्धित सुझावों का प्रतिपादन।

अध्ययन विधि– प्रस्तुत अध्ययन में बलिया जनपद से सम्बन्धित कृषि उपजों के विपणन को लिया गया है जो प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकडों पर आधारित है। इसमें बलिया, बिल्थरारोड, चितबड़ागाँव एवं रसड़ा सहकारी क्रय–विक्रय समितियों का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन का समय– प्रस्तुत अध्ययन से सम्बन्धित उपयोगी एवं आवश्यक तथ्य, सूचनाएँ तथा आंकडें जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक समय–समय पर बलिया जनपद के गाँवों, सहकारी क्रय–विक्रय समितियों एवं सरकारी तथा गैर–सरकारी कार्यालयों और एजेन्सियों से बारम्बार व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा एकत्रित किये गये हैं।

सहकारी क्रय–विक्रय समितियों के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले प्रमुख कार्य– बलिया जनपद में पाँच प्राथमिक सहकारी क्रय–विक्रय समितियाँ कार्य कर रही हैं। ये समितियाँ बलिया,

चितबड़ागाँव, रसड़ा, बिल्थरारोड एवं रानीगंज में स्थित हैं। इन समितियों के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले प्रमुख कार्य निम्न हैं–

1. **कृषि उपजों का क्रय–विक्रय–** सहकारी क्रय–विक्रय समितियों की व्यापार पद्धतियाँ तीन प्रकार की होती हैं, जैसे– अ– कमीशन के आधार पर बिक्री, ब– बन्धक के आधार पर बिक्री तथा स– सीधे तौर पर स्वतंत्र बिक्री।

कमीशन के आधार पर की गई बिक्री में, सहकारी क्रय–विक्रय समितियाँ अपने सदस्य किसानों के कृषि उपजों को बेचवाने का कार्य करती हैं। इस कार्य के लिए वे अपने सदस्यों के 100 रूपये के कृषि उपज पर 1 से 1.5 रूपये तक कमीशन प्राप्त करती हैं। बलिया तथा बिल्थरारोड सहकारी क्रय–विक्रय समिति में ही कमीशन के आधार पर क्रय–विक्रय का कार्य होता है। बन्धक के आधार पर की गई बिक्री में सहकारी क्रय–विक्रय समितियाँ अपने सदस्यों के कृषि उपजों को उचित समय पर बिक्री करवाने का कार्य तो करती ही हैं साथ ही साथ उनकी तात्कालिक ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें कृषि उपजों के जमानत पर अल्पकालिक ऋण भी प्रदान करती हैं। इस प्रकार बन्धक के आधार पर रखे गये तिलहन एवं दलहन के वर्तमान कीमत का 60 प्रतिशत तथा गेहूँ का 75 प्रतिशत, अल्पकालिक ऋण के रूप में देती हैं। इसके अतिरिक्त, ये समितियाँ स्वतंत्र रूप से भी कृषि उपजों का व्यापार करती हैं। इस पद्धति में सहकारी क्रय–विक्रय समितियाँ, किसानों से कृषि उपजों की खरीद करती हैं तथा उसे अपने निजी लाभ के उद्देश्य से समयानुसार बेच देती हैं। बलिया जनपद के किसी भी सहकारी क्रय–विक्रय समिति में बन्धक के आधार पर तथा सीधे तौर पर स्वतंत्र क्रय–विक्रय का कार्य नहीं होता है।

2. **कृषि उत्पादन के साधनों एवं उपभोक्ता वस्तुओं का क्रय–विक्रय–** सहकारी क्रय–विक्रय समितियाँ, कृषि उपजों के क्रय–विक्रय के साथ–साथ कपड़ा, खाद, बीज, चीनी, मिट्टी का तेल, सीमेन्ट एवं अन्य सामग्री की भी खरीद–बिक्री करती है। बलिया सहकारी क्रय–विक्रय समिति में कृषि उपजों के क्रय–विक्रय के अतिरिक्त अन्य सामग्री की भी खरीद–बिक्री होती है। वर्ष 2015–16 में इस समिति ने 50595.60 रूपये के उर्वरक, 11238.70 रूपये के बीज, 19802.00 रूपये के कपड़े तथा 3093316.76 रूपये के राशन की खरीद की और 52253.50 रूपये का उर्वरक, 11116.00 रूपये के बीज, 21058.81 रूपये के कपड़े तथा 3216260.07 रूपये के राशन की बिक्री की। इसके अतिरिक्त इस समिति ने 26491.50 रूपये के बारदाना (खाली बोरा) की भी बिक्री की।

चितबड़ागाँव सहकारी क्रय–विक्रय समिति ने वर्ष 2015–16 में किसानों के 68 लाख आठ हजार रूपये के कृषि उपज को बन्धक के रूप में रखा तथा इस बन्धक कृषि उपज के आधार पर किसानों को 35 लाख रूपये के अग्रिम बन्धक ऋण दिया है। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में इस समिति ने 12 लाख 48 हजार रूपये का व्यवसाय किया है। इसके अतिरिक्त यह समिति उर्वरक का परिवहन व्यवसाय भी करती है। वर्ष 2015–16 में इस समिति ने 87 लाख 24 हजार रूपये के उर्वरक का परिवहन व्यवसाय किया है। इस समिति ने वर्ष 2015–16 में 1 लाख रूपये के उर्वरक की बिक्री की है। उपभोक्ता व्यवसाय के रूप में इस समिति ने वर्ष 2015–16 में 1 लाख रूपये के कपड़े का थोक व्यवसाय किया है। इसके साथ ही इस समिति ने वर्ष 2015–16 में 1 लाख 30 हजार रूपये के कपड़े का फुटकर व्यवसाय भी किया है। राशन व्यवसाय के रूप में इस समिति ने वर्ष 2015–16 में 3 लाख 30 हजार रूपये के राशन का व्यवसाय किया है। राशन की वस्तुओं में चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूँ एवं चावल सम्मिलित हैं।

रसड़ा सहकारी क्रय–विक्रय समिति में वर्ष 1995 से कोई क्रय–विक्रय का कार्य नहीं हो रहा है। बिल्थरारोड सहकारी क्रय–विक्रय समिति ने वर्ष 2015–16 में 191429.91 रूपये के उर्वरक एवं

430604.50 रूपये का बीज खरीदा और 257142.00 रूपये का उर्वरक 459156.50 रूपये के बीज, 3885.00 रूपये का जिंक सल्फेट तथा 23714.70 रूपये के कपड़े की बिक्री की।

3. **ऋण प्रदान करने का कार्य**– सहकारी क्रय–विक्रय समितियाँ अपने सदस्यों के कृषि–उपजों के जमानत पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। बलिया, रसड़ा तथा बिल्थरारोड सहकारी क्रय–विक्रय समितियों में बन्धक के आधार पर ऋण देने की प्रथा नहीं है। चितबड़ागाँव सहकारी क्रय–विक्रय समिति में बन्धक के आधार पर वर्ष 2015–16 में 10.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 35 लाख रूपया ऋण दिया गया है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि चितबड़ागाँव सहकारी क्रय–विक्रय समिति में ही ऋण की सुविधा प्रदान की गयी है।

4. **परिवहन व्यवस्था**– सहकारी क्रय–विक्रय समितियाँ अपने सदस्यों को यातायात सम्बन्धी सुविधा प्रदान करती है। छोटे किसानों द्वारा अपने विक्रय योग्य अतिरेक को विपणन केन्द्रों तक ले जाना कठिन तो होता ही है साथ ही साथ अलाभकर भी होता है। इसके समाधान के लिए सहकारी क्रय–विक्रय समितियाँ अपने सदस्यों के गाँवों के पास ट्रक, ट्रैक्टर आदि की व्यवस्था करके अपने सदस्यों के यातायात सम्बन्धी भार को भी कम करने में सहायक होती हैं। परन्तु अध्ययनार्थ चुनी हुयी सहकारी क्रय–विक्रय समितियाँ परिवहन व्यवस्था का कार्य समुचित ढंग से नहीं करती। सहकारी समितियों पर किसान अपने कृषि–उपजों को बेचने के लिए ले जाता है जिसमें यातायात खर्च किसानों को ही वहन करना पड़ता है। सहकारी क्रय–विक्रय समितियाँ सीधी स्वतंत्र खरीद करते समय कभी–कभी उत्पादन क्षेत्रों में जाकर कृषि–उपजों की खरीद करती हैं। ऐसी स्थिति में यातायात खर्च समिति को ही वहन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, कभी–कभी सहकारी क्रय–विक्रय समितियाँ अच्छी कीमत की प्राप्ति हेतु अपने सदस्यों के कृषि–उपजों को दूसरी मण्डियों में भी बेचवाने का कार्य करती हैं। कृषि उपजों की इस प्रकार से की गयी बिक्री में यदि सहकारी क्रय–विक्रय समिति, उचित स्थान में कृषि–उपजों को ले जाती है तो यातायात खर्च समिति को और यदि मण्डी के क्रेता स्वयं समिति पर आ कर खरीदने का कार्य करते हैं तो परिवहन व्यय क्रेता को वहन करना पड़ता है।

5. **संग्रहण व्यवस्था**– सहकारी क्रय–विक्रय समितियाँ अपने सदस्यों को संग्रहण सम्बन्धी सुविधा प्रदान करती है। अपने सदस्यों के कृषि उपजों को संग्रह करने के लिए चारों समितियों में पक्की गोदाम व्यवस्था है। इस प्रकार, बलिया सहकारी क्रय–विक्रय समिति में एक पक्का संग्रहालय है। जिसकी क्षमता 150 मीट्रिक टन है। चूँकि इस समिति पर बन्धक के आधार पर कृषि उपज नहीं रखा जाता है इसलिए संग्रहण खर्च का प्रश्न ही नहीं उठता। चितबड़ागाँव सहकारी क्रय–विक्रय समिति में 14 पक्के गोदाम हैं जो समिति के अपने हैं। इन 14 गोदामों की संग्रहण क्षमता 200 मीट्रिक टन है। इस समिति में बन्धक के आधार पर रखे गये कृषि उपजों पर 10 पैसा प्रति बोरा, प्रतिमाह संग्रहण खर्च लिया जाता है। यदि उपज का बीमा कराया गया है तो किसानों से 90 पैसा सैकड़ा (प्रति 100 रूपये की उपज पर 90 पैसे) की दर से बीमा खर्च वसूल किया जाता है। रसड़ा सहकारी क्रय–विक्रय समिति के पास अपना एक निजी पक्का संग्रहालय है जिसकी क्षमता 150 मीट्रिक टन है। चूँकि इस समिति पर भी बन्धक के आधार पर कृषि उपज नहीं रखा जाता है, इसलिए संग्रहण खर्च का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार बिल्थरारोड सहकारी क्रय–विक्रय समिति में 5 निजी पक्के गोदाम हैं जिनकी क्षमता 300 मीट्रिक टन है। चूँकि इस समिति पर भी बन्धक के आधार पर कृषि उपज नहीं रखा जाता है, इसलिए संग्रहण खर्च का प्रश्न ही नहीं उठता। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रत्येक सहकारी क्रय–विक्रय समिति पर संग्रह की व्यवस्था है।

6. **बाजार सूचना सम्बन्धी सेवाएँ–** समितियाँ अपने सदस्यों को मूल्य के घट–बढ़, आवश्यक परामर्श आदि की सूचना देती रहती है। बलिया जनपद की सहकारी क्रय–विक्रय समितियाँ अधिकतर सूचना पत्र के द्वारा, करीब के अन्य सदस्यों के द्वारा एवं साख समिति के लेखाकारों के द्वारा भेजती रहती है। परन्तु यदि तुरन्त की आवश्यक सूचना देनी हो तो अपने यहाँ नियुक्त चपरासी को भेजकर सूचना देती रहती है।

7. **नियंत्रित ऋणों की वसूली का कार्य–** सहकारी क्रय–विक्रय समितियाँ अपने किसान सदस्यों के नियन्त्रित ऋणों की वसूली भी करती है। बलिया जनपद के सहकारी क्रय–विक्रय समितियों में केवल बिल्थरारोड सहकारी क्रय–विक्रय समिति ही ऐसी है जिसने वर्ष 2015–16 में नियंत्रित ऋण की वसूली की है। इसके अतिरिक्त बलिया, चितबड़ागाँव तथा रसड़ा सहकारी क्रय–विक्रय समितियों ने नियन्त्रित ऋण की वसूली नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि बलिया तथा रसड़ा सहकारी क्रय–विक्रय समितियाँ नियन्त्रित ऋण वसूली का कार्य नहीं करती हैं जबकि चितबड़ागाँव सहकारी क्रय–विक्रय समिति द्वारा नियन्त्रित ऋण की वसूली का कार्य बन्द कर दिया गया है।

8. **अन्य कार्य–** सहकारी क्रय–विक्रय समितियाँ अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ाने में सहायक होती है। बलिया जनपद की सहकारी क्रय–विक्रय समितियों में केवल चितबड़ागाँव सहकारी क्रय–विक्रय समिति ही ऐसी है जो अपने सदस्यों को बीज बेचते समय बीज बोने की पद्धति, किस प्रकार की फसल का उत्पादन करने से अधिक लाभ हो सकता है, आदि के बारे में परामर्श देती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्य सहकारी क्रय–विक्रय समितियों में अपने सदस्यों के प्रति न तो सद्भावना ही है और न वह अपने सदस्यों की मनोवृत्ति को सहकारिता की ओर बढ़ाने में सहायता ही पहुँचा रही है।

निष्कर्ष– बलिया जनपद के प्राथमिक सहकारी क्रय–विक्रय समितियों के क्षेत्र, स्थिति, सदस्यता, क्रिया–कलाप आदि से सम्बन्धित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्टतः प्रमाणित हो जाता है कि ये सभी समितियाँ सहकारिता के नाम पर केवल ढांचा मात्र है। वास्तविकता यह है कि ये सहकारिता की भावना एवं सिद्धान्त से पूर्णतया शून्य हैं जिससे इनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। इनका कृषि–विपणन सम्बन्धी क्रियाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही उनके प्रति इनका आकर्षण ही है। यह आश्चर्यजनक है कि सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ ये नहीं उठा पाती। कृषि–विपणन के लिए सहकारी क्रय–विक्रय समितियों को जो अपेक्षित भूमिका निभानी चाहिए थी, उसका ये निर्वाह नहीं करती। यह अवश्य है कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सरकार की उपभोक्ता वस्तुओं एवं कृषि की आवश्यक वस्तुओं के वितरण प्रक्रिया में आंशिक सहयोग देकर सहकारिता के आवरण में प्रचछन्न है। जहाँ इनकी स्थापना, साहूकारों के दोषों को दूर करने तथा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में सस्ती दर पर वित्त प्रदान करने के लिए, उनके उपजों का उचित मूल्य दिलाने के लिए, उर्वरक, बीज व परामर्श देने के लिए तथा विपणन सम्बन्धी विभिन्न क्रियाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए की गयी थी, वहाँ अब इनका कार्य एक साधारण आढ़तियों अथवा फुटकर व्यापारी जैसा हो गया है जो कपड़ा, चीनी, गेहूँ, चावल, मिट्टी के तेल आदि उपभोग की सामग्री प्रदान करने तक प्रायः सीमित है। इस प्रकार ये उपभोक्ता सहकारी समिति का रूप धारण करती जा रही है। बलिया जनपद की सभी कृषि सहकारी क्रय–विक्रय समितियाँ 'साइड बिजनिस' के सहारे जीवित हैं। बलिया सहकारी क्रय–विक्रय समिति उर्वरक, बीज, कपड़े तथा राशन के क्रय–विक्रय के कारण, चितबड़ागाँव सहकारी क्रय–विक्रय समिति कपड़े, उर्वरक, बीज एवं मिट्टी के तेल के क्रय–विक्रय के कारण तथा बिल्थरारोड सहकारी क्रय–विक्रय समिति उर्वरक, बीज, कपड़ा के क्रय–विक्रय के कारण सांस ले रही है। निःसन्देह, समिति के जो भी सदस्य, सदस्यता

ग्रहण किए हुए हैं, उसके मूल में इन सभी उपभोक्ता वस्तुओं तथा कृषि सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति का आकर्षण ही दिखता है।

सहकारी क्रय–विक्रय समितियों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज की दर बहुत ही अधिक है। इसके अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने में भी अनाड़ी सदस्य किसानों को अनेक परेशानियाँ उठानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में किसान इन परेशानियों से बचने के लिए व्यक्तिगत महाजनों व साहूकारों आदि से ही अपनी ऋण सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति को अधिक सुगम तथा हितकर समझता है। अतएव, सहकारी क्रय–विक्रय समितियों की ऋण सम्बन्धी सुविधाओं का प्रयोग वह प्रायः नहीं करना चाहता।

जिस यातायात की परेशानी के कारण सदस्य किसान अपनी उपज को उचित स्थान तक नहीं पहुँचा पाता, उस समस्या का समाधान इन समितियों द्वारा बिल्कुल नहीं किया जाता है। परिणामतः किसानों को स्वयं ही परिवहन की व्यवस्था करनी होती है। ऐसी स्थिति में जब किसान अपने थोड़े से कृषि उपज को लेकर सहकारी क्रय–विक्रय समिति पर जाता है तो यातायात व्यय अधिक पड़ने के कारण उसको कम कीमत ही प्राप्त हो पाती है। यही कारण है कि इस जनपद के कृषक अपने अल्प विक्रय–योग्य अतिरेक को प्रायः गाँव में ही बेचना (उपभोक्ता, बनियों आदि को) लाभकर समझता है। यदि सहकारी क्रय–विक्रय समितियाँ अपने प्रतिनिधियों को भेजकर गाँवों के करीब ट्रक आदि की व्यवस्था करके कृषि उपजों को एकत्र करतीं एवं उचित स्थान पर बेचने का कार्य करती तो सदस्य किसानों को अच्छी कीमत मिलने में सन्देह न होता।

इस जनपद की सहकारी क्रय–विक्रय समितियों के द्वारा किसानों को प्रमापीकरण व श्रेणीकरण सम्बन्धी सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं करायी जाती है। श्रेणीकरण सम्बन्धी सुविधा के अभाव में किसान अपनी उपजों का उचित मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ रहता है।

जहाँ तक जनपद की समितियों के पास संग्रहण की व्यवस्था का प्रश्न है, इसका अभाव बिल्कुल नहीं प्रतीत होता है क्योंकि भण्डारण की पूर्ण क्षमता का कभी उपयोग नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि न तो समिति की ओर से सदस्य कृषकों को प्रेरित किया जाता है और न पर्याप्त यातायात की सस्ती सुविधा उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में किसानों में समिति के प्रति इस उपेक्षा के भाव का क्षेत्र के व्यापारी पूरा–पूरा लाभ उठाते हैं और समितियों के गोदाम प्रायः खाली पड़े रहते हैं।

समितियों में अपने सदस्यों के हितों की रक्षा की मनोभावना की भारी कमी है। सहकारी क्रय–विक्रय समितियों में केवल पत्र द्वारा मूल्य के घट–बढ़ की सूचना दी जाती है, जिसका उचित समय पर पहुँचना प्रायः असम्भव रहता है। ऐसी स्थिति में सदस्य किसान उचित कीमत सम्बन्धी लाभों से प्रायः वंचित ही रह जाते हैं। समितियों को चाहिए कि बाजार या विपणन सम्बन्धी तात्कालिक सूचना के लिए किसी प्रतिनिधि की व्यवस्था करें तथा देर से भेजने योग्य सूचनाओं को पत्र. के माध्यम से प्रदान करें।

सहकारी क्रय–विक्रय समितियों द्वारा 'नियंत्रित ऋणों' की वसूली का कार्य प्रायः नगण्य है। बलिया जनपद की केवल बिल्थरारोड सहकारी क्रय–विक्रय समिति ने ही आंशिक रूप से 'नियंत्रित ऋण' की वसूली की है, किन्तु अन्य समितियों ने नियन्त्रित ऋण की वसूली नहीं की है। नियंत्रित ऋणों की वसूली को प्रोत्साहित करेन के पहले कृषि उत्पादन बढ़ाने की तकनीक पर भी ध्यान देना आवश्यक है ताकि विक्रय–योग्य अतिरेक बढ़े। विक्रय–योग्य अतिरेक अधिक रहने पर किसान कृषि–उपजों की बिक्री द्वारा ऋण की अदायगी आसानी से कर सकते हैं।

किसानों एवं कर्मचारियों में सहकारिता की भावना का नितांत अभाव है। ये कर्मचारी सदस्य किसानों के हितों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। किसान अशिक्षा एवं विपणन कला की अनभिज्ञता के कारण बड़े पैमाने की बिक्री का लाभ नहीं उठा पाते और न ही उनमें व्यापारियों से सौदा करने की क्षमता होती है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि सहकारी क्रय–विक्रय समितियों का जनपद में एक जाल बिछाया जाय, ताकि जनपद के किसान सहकारिता का लाभ उठा सकें। किसानों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएँ भी दी जायं जिससे कि वे अपने कार्य को सही ढंग से कर सकें।

संदर्भ–

1. Bakken and Schaars (1937), "Economics of Co-operative Marketing," McGraw Hill Book Co. Inc., New York, London.
2. Anand, Jaya S. (1999), "Co-operative Agricultural and Rural Development Bank", Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi.
3. वर्ष के सन्तुलन–पत्र, मार्च, 2015 तथा मार्च, 2016, कार्यालय, क्रय–विक्रय समितियाँ, बलिया, चितबड़ागाँव, रसड़ा एवं बिल्थरारोड।
4. विकासमान बलिया, 2016, कार्यालय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बलिया।
5. उ0प्र में सहकारिता, 2016, सहकारिता समिति निबन्धक, उ0प्र0, लखनऊ।
6. "कुरूक्षेत्र", ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. 'योजना', सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली।
8. "सहकारिता" मासिक, यू0पी0 कोआपरेटिव यूनियन, सहकारी प्रेस, 14, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।